

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर


क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ शुद्धिकरण/ई-57/जो.जयपुर/2023/227 दिनांक- 14/3/23

शुद्धिकरण

निम्नांकित नर्सिंग कर्मियों के निदेशालय द्वारा विभिन्न आदेश जारी किये गये है, निम्नानुसार शुद्धिकरण किया जाता है -

प	कर्मचारी का नाम एवं पद	जिला	प्रकरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	संशोधन/शुद्धिकरण
1.	गिरधारी लाल नर्सिंग ऑफिसर	जयपुर	स्थाईकरण	220/13.03.2023 क.स. 08	निदेशालय की अ.टि क्रमांक 47 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा भर्ती 2018 में नवचयनित जिन नर्सिंग ऑफिसर का पदस्थापन माह अक्टूबर 2020 में किया गया है, द्वारा राज्य सेवा में 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर काल्पनिक लाभ देते हुये स्थायीकरण किये जाने हेतु निदेशालय में प्राप्त प्रस्ताव में स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की स्पष्ट पश्चात ही किये जाने है। अतः वित्त विभाग की टिप्पणी/अग्रिम आदेशों के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
2.	अनिता प्रजापति नर्सिंग ऑफिसर	जयपुर	स्थाईकरण	220/13.03.2023 क.स. 13	निदेशालय की अ.टि क्रमांक 47 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा भर्ती 2018 में नवचयनित जिन नर्सिंग ऑफिसर का पदस्थापन माह अक्टूबर 2020 में किया गया है, द्वारा राज्य सेवा में 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर काल्पनिक लाभ देते हुये स्थायीकरण किये जाने हेतु निदेशालय में प्राप्त प्रस्ताव में स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की स्पष्ट पश्चात ही किये जाने है। अतः वित्त विभाग की टिप्पणी/अग्रिम आदेशों के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।


शेष आदेश यथावत।



निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ शुद्धिकरण/ई-57/जो.जयपुर/2023/227 दिनांक-  
19/3/23  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज ।
2. संबंधित अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय संघ समूह ।
3. संबंधित रायुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन ।
4. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ।
6. संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
7. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय ।
8. प्रशासनिक अधिकारी, टी0सी0 अनुभाग, मुख्यालय ।
9. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश/निजी पत्रावली।

  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर